कार्यालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुर (राज.)

क्रमांक – 14 दिनांक – 20.03.2023

कार्यालय आदेश

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर द्वारा प्रेषित पत्र में वर्णित तथ्य अनुसार माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 110.02.01 की क्रियान्विति के क्रम में राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–2) विभाग के आदेश क्रमांक एफ–27 (क) (1) गृह–2/2022/जयपुर दिनांक 27.04.2022 (स्वीकृति संख्या–13/22–23) एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (पुनर्गठन एवं नियम) राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक ए–21(3) पुनर्गठन/जन/बजट घोषणा/2022–23/1775–1841 दिनांक 05. 08.2022 द्वारा उदयपुर जिले में साइबर पुलिस थाना स्थापित किया गया है, जिसके अनुसरण में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 (1) व 15 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नवसृजित साइबर पुलिस थाने के आपराधिक प्रकरणों हेतु निम्नप्रारूप अनुसार कॉलम संख्या 03 में अंकित न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है:–

1	2	3
क्रम संख्या	नवसृजित पुलिस थाना	न्यायालय जिसे नवसृजित पुलिस थाने का क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है।
01	साइबर पुलिस थाना जिला–उदयपुर (राज.)	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या 01, उदयपुर, (राज.)

20.03.23

(भारत भूषण पाठक)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उदयपुर (राज.)

O/C

क्रमांक–स्था./2023/ 369–73 दिनांक–20.03.2023

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, उदयपुर
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, उदयपुर ।
3. न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या 01, उदयपुर
4. थानाधिकारी, साइबर पुलिस थाना, उदयपुर
5. श्री आमोल शांडिल्य, सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, उदयपुर

20.03.23

(भारत भूषण पाठक)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner